#2022/203

फर्द अहकाम

सीताराम बनाम चौथमल वगै0

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जयपुर)

केस संख्या 70/2022 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1	20.10.2022	प्रार्थी की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र श्री टी0 एम वर्मा, एडवाकेट ने पेश किया गया मूल वादपत्र के साथ पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी को एक पक्षीय बहस में सुना गया । प्राथी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया । अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझते है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया गया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 237/0.0400, 237/1.6632, 239/0.1376, 194/2/0.0500, 207/3/0.4220, 209/0.1584, 210/2/0.1400, 227/1/1.1000, 350/2/0.0200, 351/0.4900, 380/2/0.43, 208/2/0.4071, 208/0.1200 है0 वाके ग्राम रावपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के प्रार्थी के हिस्से तक की भूमि का मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को यदि कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें । तदानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 30/11/22 को पेश हों । (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज	
	2-11-22	आज मय पत्रावली मूल वाद के साथ मुलतवी पेशी से पूर्व पेश हुई, मूल वाद में समझौता के मध्य राजीनामा मौके पर होने से डिक्री होने पर खारिज हो चुका है। अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार जमा हो। मूल वाद के शामिल रहे। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज	

Scanned with OKEN Scanner